सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **100/2019** दायर दिनाँक **27.03.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सलाब कंवर पत्नी रिछपालसिंह 2. गजेन्द्र सिंह पुत्र रिछपालसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी बरडवा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जगदीश सिंह पुत्र नारायणसिंह 2. महेन्द्र सिंह पुत्र नारायणसिंह 3. मगसिंह पुत्र नारायणसिंह 4. विक्रम सिंह पुत्र रिछपालसिंह 5. मन्जु कंवर पुत्री रिछपालसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बरडवा तहसील—डीडवाना जिला—नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थितः—

1. श्री जयवीरसिंह वकील, वादीगण
2. श्री सैयद अलताफ हुसैन वकील प्रतिवादी सं0 01, 02

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **12.11.2020**

मूल वाद में प्रतिवादी जगदीश सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण ने विक्रय करार के आधार पर व लम्बे समय से कब्जा बताकर उसके आधार पर खातेदारी की घोषणा हेतु उक्त वाद पेश किया है। जिसमें वादीगण ने प्रतिवादीगण के पिता विक्रय इकरारनामा निष्पादित करने का उल्लेख करते हुए अपना कब्जा बताकर विक्रय इकरार के आधार पर खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है जो वाद शुद्ध रूप से विक्रय संविदा की पालना से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को ऐसे वाद की सुनवाई करने का किसी प्रकार का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए वादीगण का इसी आधार पर वाद निरस्त होने योग्य है।

वादीगण ने अपने वाद में 16 सालों से अधिक समय से कब्जा होना बताकर उसके आधार पर खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है व खातेदारी अधिकार प्राप्त होना कथन किया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार इस आधार पर व प्रतिकुल कब्जे के आधार पर एवं लम्बा

1560
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 100/2019
दायर दिनाँक 27.03.2019, निर्णय दिनाँक 12.11.2020
सलाब कंवर बनाम जगदीश सिंह वगैरा।

कब्जा होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है व न ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। लम्बे समय से कब्जा होने व प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का कोई प्रावधान राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में नहीं है व न ही इस आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय में संधार्यही है ऐसा वाद विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए वादीगणका वाद इसी स्तर पर निरस्त होने योग्य है।

अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने व विधे द्वारा वर्जित होने व विधि अनुसार संधार्य नही होने के कारण निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दिलाई गई। वकील वादी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जवाबदाता वादी के वाद में वर्णित तथ्यों से भिन्न होने से पूर्णतया अस्वीकार है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण के पिता द्वारा उपरोक्त दावाकृत खसरानभूमि का बतौर प्रतिफल प्राप्त कर पूर्णरूपेण बैचाण कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था जो कि उक्त कृषि भूमि का हस्तानतरणपूर्ण बैचाण की परिभाषा में आकर खरीद दिनंक से वादी जवाबदाता का आज दिन तक कब्जा आधिपत्य चलाआ रहा है, जो कृषि भूमि होने से उपरोक्त भूमि की खातेदारी अधिकारों की प्राप्ति के लिए खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय कृषि भूमि की घोषणा बाबात अनुतोष प्रदान करने में सक्षम होने से उपरोक्त वाद श्रीमान के समक्ष वारते घोषणा खातेदारी का पेश किया गया है। प्रतिवादी ने ऐसे किसी तथ्यों का वर्णन नहीं किया है जिससे वाद पत्र की सुनवाई बाबत माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नही हो एवं जवाबदाता वादी का वाद किन कारणों से सुनवाई के योग्य नहीं हो, ऐसे किसी तथ्यों का वर्णन उक्त प्रार्थनापत्र में नहीं किया गया है। जवाबदाता वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष काश्तकारी अधिनियम के अनुसार है जो माननीय न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रदान किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपेक्षित तथ्य वविधि का मिश्रित प्रशन है, जो कि वाद साक्ष्य सबुत ही निर्धारित किया जाना है। जवाबदाता वादी ने किसी प्रकार की कोई अनुतोष ऐसा नहीं चाहा है जो माननीय श्रीमान द्वारा प्रदान किये जाने योग्य नहीं हो और विधि प्रावधानों के विपरित हो।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी जवाबदाता द्वारा पेश जवाब को स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

बहस हेतु उभय पक्षकारान को बार–बार आवाजे लगाई गई। बावजुद आवाजों के वकील वादी अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण ने विक्रय करार के आधार पर व लम्बे समय से कब्जा बताकर उसके आधार पर खातेदारी की घोषणा हेतु उक्त वाद पेश किया है। जिसमें वादीगण ने प्रतिवादीगण के पिता विक्रय इकरारनामा निष्पादित करने का उल्लेख करते हुए अपना कब्जा बताकर विक्रय इकरार के आधार पर खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है जो वाद शुद्ध रूप से विक्रय संविदा की पालना से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है।

15/60
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 100/2019
दायर दिनाँक 27.03.2019, निर्णय दिनाँक 12.11.2020
सलाब कंवर बनाम जगदीश सिंह वगैरा।

राजस्व न्यायालय को ऐसे वाद की सुनवाई करने का किसी प्रकार का क्षेत्राधिकार नहीं है। केवल इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। उक्त वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसलिए वादीगण का वाद निरस्त किया जावें। वकील प्रतिवादी ने विभिन्न न्यायालयों की रूलिंगें पेश की। जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। वादीगण केवल इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार लेने के लिए वाद लेकर आये है। विभिन्न न्यायालयों की रूलिंगों से भी स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार बैचान के इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय किसी भी पक्षकार को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। बेचान के इकरारनामें के आधार पर किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय से नियमानुसार अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तथ्य सही होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 12.11.2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner